



पत्रांक :- 01 / योब०-45 / 2015(खण्ड-4)-680

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ देवघर वन प्रमंडल, देवघर/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

दिनांक :- 16 / 05 / 2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7/योबजट-72/2015-40 / स्वी0 व0प0 दिनांक 09.10.2015 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/योबजट-72/2015-15/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की ऑन-लाईन उप आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना	मजदूरी	19P240601789590103	194.531
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789590323	61.667	
कुल आवंटित राशि				256.198

अर्थात् कुल 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित राशि 256.198 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख उनीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (पुराना नाम पथतट रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना)” (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406— वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाएगा। वन प्रमंडलों द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। किसी भी एक सड़क या एक कैम्पस में रोपित होने वाले बाँस गैबियन को एक योजना माना जायेगा तथा पूर्ण योजना चार वर्षीय होगी जिसका सम्पोषण कार्य तृतीय वर्ष अंश होगा।

6. तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की गयी राशि तक व्यय सीमित रखी जाएगी।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

8. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनात्मक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा योजनात्मक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को समर्पित करेंगे।

11. स्थल विवरणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात हीं उप आवंटन राशि का व्यय किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी—पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम – 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या 3037 दिनांक 02. 05.2012 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बिना पथ निर्माण विभाग की अनुमति के उनके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन पथों पर वृक्षारोपण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। योजना कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित भू—स्वामित्व/नियंत्रणाधीन से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय किया जाएगा।

17. शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय, बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी, बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

18. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभादार वृक्षों का रोपण किया जाएगा तथा वृक्षारोपण योजना के समापन वर्ष में औसत 8 फीट, सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि काई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या—2371 दिनांक—05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या—2371 दिनांक—05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्थीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।



21. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

24. इस योजना के अन्तर्गत किये गये वन प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक—1, कार्यदर अनुलग्नक—2 एवं ऑन—लाईन उप आवंटन अनुलग्नक—3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वसभाजन

 6/5/2016
 अपर प्रधान (मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।


17. शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय, बाँस गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी, बाँस गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा एवं पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।

18. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभादार वृक्षों का रोपण किया जाएगा तथा वृक्षरोपण योजना के समापन वर्ष में औसत 8 फीट, सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।

18. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि काई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या—2371 दिनांक—05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या—2371 दिनांक—05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत हीं आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

21. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

22. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

24. इस योजना के अन्तर्गत किये गये वन प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक—1, कार्यदर अनुलग्नक—2 एवं ऑन—लाईन उप आवंटन अनुलग्नक—3 पर संलग्न है।


अनुलग्नक :— यथोक्ता।

विश्वसभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0-45 / 2015(खण्ड-4)-680 राँची, दिनांक :- 16.05.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।
B.M.


ज्ञापांक :-01 / यो0ब0-45 / 2015(खण्ड-4)-680 राँची, दिनांक :- 16.05.2016

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01 / यो0ब0-45 / 2015(खण्ड-4)-680 राँची, दिनांक :- 16.05.2016



प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / कोषागार पदाधिकारी, चतरा / कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा / कोषागार पदाधिकारी, बोकारो / कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ / कोषागार पदाधिकारी, धनबाद / कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह / कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा / कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू / कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।
B.M.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम पथतट रोपण—सह—शहरी वानिकी योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य का प्रमण्डलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	गैबियन संख्या में	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	4219	12.178	3.860	16.038
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	4219	12.178	3.860	16.038
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	3589	10.359	3.284	13.643
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	3589	10.359	3.284	13.643
5	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	3589	10.359	3.284	13.643
6	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	4219	12.178	3.860	16.038
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	4219	12.178	3.860	16.038
8	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	4219	12.178	3.860	16.038
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	4219	12.178	3.860	16.038
10	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	4108	11.857	3.759	15.616
11	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	2030	5.858	1.857	7.715
12	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	2644	7.631	2.419	10.050
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	3841	11.087	3.515	14.602
14	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3841	11.087	3.515	14.602
15	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	3841	11.087	3.515	14.602
16	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	3841	11.087	3.515	14.602
17	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	3841	11.087	3.515	14.602
18	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	3328	9.605	3.045	12.650
योग :-		67396	194.531	61.667	256.198


 अपर प्रधान पुष्टि वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

221-

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस - गैबियन में वृक्षारोपण

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"



2. स्पेसिंग - पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०

- पौधे से पौधे की दूरी - 8 मी०

मजदूरी दर

221.61 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	20.00	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नसरी से किया जाएगा।
2	गड़दे में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ; बजि बालू बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	33.24	20.00	53.24	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	22.16	2.00	24.16	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	33.24	4.50	37.74	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)		0.50	110.81	25.00	135.81	
6	सुरक्षा		0.50	110.81	0.00	110.81	
7	साइन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	310.25	91.50	401.75	


 अपर प्रधान सुख्य वन सरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


220-

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

दालू, वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-45/15-4/680

दिनांक -

16-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26423	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	1,217,800.00 रुपये बारह लाख स बड़ हजार आठ स
2	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26425	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,217,800.00 रुपये बारह लाख स बड़ हजार आठ
3	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26426	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,035,900.00 रुपये दस लाख पैसों हजार नी से

3,471,500.00

क्रमिक योग:

रुपये चौतीस लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26427	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	रुपये दस लाख पैसीस हजार नौ सौ 1,035,900.00
5	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26428	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	रुपये दस लाख पैसीस हजार नौ सौ 1,035,900.00
6	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26429	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	रुपये बारह लाख स त्र ह हजार आठ 1,217,800.00
7	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26430	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	रुपये बारह लाख स त्र ह हजार आठ 1,217,800.00
योगः				
रुपये उन्नासी लाख अठहत्तर हजार नौ सौ				
राष्ट्रीय योगः				
रुपये उन्नासी लाख अठहत्तर हजार नौ सौ				
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUBEY, IFS)				
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
Run Date: 16/5/2016				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26431	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,217,800.00
9	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26432	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,217,800.00
10	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26433	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,185,700.00
11	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26434	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	585,800.00
योग: 4,207,100.00				
क्रमिक योग: 12,186,000.00				
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26435	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	763,100.00
13	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26436	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	1,108,700.00
14	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26437	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,108,700.00
15	P 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	26438	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,108,700.00
योग:				
प्राप्तिक योग:				
रुपये एक करोड बासठ लाख पचहत्तर हजार दो लाई				
<i>(Shri Y.K.Singh Chauhan)</i> (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
Run Date: 16/5/2016				

216

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601789590103	26439	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात से
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
17	P 19 240601789590103	26440	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	1,108,700.00 रुपये ग्यारह लाख आठ हजार सात से
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
18	P 19 240601789590103	26441	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	960,500.00 रुपये नौ लाख साहठ हजार पाँच से
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेनन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
19	P 19 240601789590323	26442	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	386,000.00 रुपये तीन लाख छियाँस रुपये
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जानियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं भास्मी			
योग:				3,563,900.00
वार्षिक योग:	रुपये एक करोड़ अठानवे लाख उनवालीस हजार एवं चौहाई			19,839,100.00
		(Shri. Y.K. Singh (CFAWAN, IFS)) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601789590323	26443	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार
21	P 19 240601789590323	26444	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	328,400.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार
22	P 19 240601789590323	26445	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	328,400.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार
23	P 19 240601789590323	26446	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	328,400.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार चार
दोगों क्रमिक योग:				1,371,200.00
रुपये दो करोड़ बारह लाख दस हजार तीन सौ				21,210,300.00

(SHRI Y.K.SINGH, JHARKHAND VFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26447	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार
25	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26448	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार
26	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26449	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार
27	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26450	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	386,000.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार

योग:

1,544.000.00

क्रमिक योग:


22,754.300.00

रुपये दो करोड़ सत्ताइस लाख चौपन हजार तीन सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

213

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26451	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	375,900.00
29	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26452	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	185,700.00
30	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26453	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	241,900.00
31	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26454	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	351,500.00
योग				
रुपये दो करोड उनचालीस लाख नौ हजार तीन सौ				
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IAS)				
23,909,300.00				
क्रमिक योग:				
रुपये दो करोड उनचालीस लाख नौ हजार तीन सौ				
 ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
1.155,000.00				
Run Date: 16/5/2016				
Page 8 of 10				

212

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26455	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	351,500.00
33	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26456	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	351,500.00
34	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26457	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV.. HAZARIBAG	351,500.00
35	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26458	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	351,500.00
योग:				
रुपये दो करोड़ तीरपन लाख पंद्रह हजार तीन सौ				
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)				
रुपये दो करोड़ तीरपन लाख पंद्रह हजार तीन सौ				
रुपये दो करोड़ तीरपन लाख पंद्रह हजार तीन सौ				
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
Run Date: 16/5/2016				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर चृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26459	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	304,500.00 रुपये तीन लाख चार हजार पौंछ से



योग:

304,500.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ छप्पन लाख उन्नीस हजार आठ सौ

25,619,800.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI-RCCF,DEV,JHARKHAND